प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
चन्द्रप्रभा पब्लिक प्राथमिक विद्यालय
लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी, वाराणसी।

पत्रांक : मान्यता/18513-16 /2018-19 दिनांक : 02-मार्च, 2019

विषय : विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक : मान्यता/12799-12800/2006-07 दिनांक 15.01.2007 को चन्द्रप्रभा पब्लिक प्राथमिक विद्यालय, लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी, वाराणसी को प्राथमिक स्तर की (कक्षा 1 से 5) तक की अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक 08.02.2019 के द्वारा संस्था/सोसाइटी के नाम भूमि होने के पत्रजात की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को स्थायी किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 में यह प्राविधान है कि विद्यालय के मान्यता अवधि में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो उक्त विद्यालय को 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त एवं अद्यतन मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही हुआ। उक्त विद्यालय वर्तमान में संस्था/सोसाइटी के नाम भूमि होने के के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप चन्द्रप्रभा पब्लिक प्राथमिक विद्यालय, लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी, वाराणसी को इस कार्यालय के पत्रांक : मान्यता/12799-12800/2006-07 दिनांक 15.01.2007 के द्वारा दी गयी मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 में उल्लिखित शर्ते यथावत् लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तो का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 के नियम-13 के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवॉ कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी। 01/3/2019

पृ0सं0 : मान्यता/ /2018-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 - सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2 - मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3 - सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

F:\Permanent Manyata.doc

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
चन्द्रप्रभा जूनियर हाई स्कूल
लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी, वाराणसी।

पत्रांक : मान्यता / 18522-24 / 2018–19 दिनांक : 02 मार्च, 2019

विषय : विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक : शिविर / 3211–14 / 2006–07 दिनांक 05.06.2006 को चन्द्रप्रभा जूनियर हाई स्कूल, लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी, वाराणसी को जूनियर हाई स्कूल स्तर की (कक्षा 6 से 8) तक की अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी। इस सन्दर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक 08.02.2019 के द्वारा संस्था / सोसाइटी के नाम भूमि होने के पत्रजात की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को स्थायी किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। शासनादेश संख्या 419 / 79–6–2013–18 (20) / 91 दिनांक 08.05.2013 में यह प्राविधान है कि विद्यालय के मान्यता अवधि में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो उक्त विद्यालय को 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। पत्रावली के परीक्षणोपरान्त एवं अद्यतन मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही हुआ। उक्त विद्यालय वर्तमान में संस्था / सोसाइटी के नाम भूमि होने के के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप चन्द्रप्रभा जूनियर हाई स्कूल, लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी, वाराणसी को इस कार्यालय के पत्रांक : शिविर / 3211–14 / 2006–07 दिनांक 05.06.2006 के द्वारा दी गयी मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419 / 79–6–2013–18 (20) / 91 दिनांक 08.05.2013 में उल्लिखित शर्ते यथावत् लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तो का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या 419 / 79–6–2013–18 (20) / 91 दिनांक 08.05.2013 के नियम–13 के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवॉ कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी। 01/3/2019

पृ0सं0 : मान्यता / / 2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 – सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2 – मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3 – सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण / नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

F:\Permanent Manyata.doc